नये संचार माध्यमों के ज़रिए मामले तय करना

इस संबंध में 13वें फ़िक्ही सेमिनार में विचार किया गया और निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए गए। यह सेमिनार कटौली, लखनऊ में 13-16 अप्रैल 2001 को आयोजित हुआ।

1- मजलिस का अर्थ- मजलिस (बैठक) से अभिप्राय ऐसी स्थिति है जिस में मामला करने वाले किसी मामले को तय करने में व्यस्त हों। जिस मजलिस में पेशकश और क़बूलियत दोनों हों उसे इत्तेहाद-ए-मजलिस कहते है। और जब मामले की पेशकश और उसे क़बूल करने का अमल एक मजलिस में न हो तो उसे इख़तेलाफ़-ए-मजलिस कहते हैं।

(अ) फ़ोन और वीडियों कान्फ्रेंसिंग के ज़रिए ख़रीदने बेचने का समझौता क़ाबिल-ए-क़ुबूल है। इंटरनेट पर अगर एक वक्त में समझौता करने वाले मौजूद हैं और पेशकश के बाद फ़ौरन दूसरी तरफ़ से उसे क़ुबूल कर लिया जाए तो उसे एक मजलिस माना जाएगा और यह समझौता मान्य होगा।

(ब) अगर इंटरनेट पर एक व्यक्ति ने बेचने की पेशकश की और दूसरा उस समय नेट पर मौजूद नहीं है, बाद में उसने संदेश प्राप्त किया तो यह स्थिति मजलिस की नहीं पत्रचार की होगी और मामला तय करने के लिए संदेश पढने के वक्त ही उसे क़ुबूल करना ज़रूरी होगा।

3- अगर किसी मामले में ख़रीदार और बेचने वाले ने मामला गोपनीय रखना चाहा और उसके लिए गुप्त कोड प्रयोग किए तो किसी अन्य आदमी के लिए इस मामले की सूचना लेने की कोशिश जायज़ नहीं होगी, लेकिन अगर किसी का शरई हक़ उस मामले से जुडा हो तो उसके लिए मामले की खोज लगाना जायज़ होगा।

☆☆☆